CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

◘ वर्ष- 28 ◘ अंक- 83 ◘ रायपुर, शुक्रवार 18 अप्रैल 2025 ◘ पृष्ठ-8 ◘ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

पुनर्वास नीति से प्रभावित 22 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 40 लाख का था इनाम

सुकमा, 18 अप्रैल (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है. सरकार की प्रभावी पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें एक दंपति भी शामिल है. आत्मसमर्पण करने वाले इन नक्सलियों पर कुल 40 लाख 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। 22 नक्सलियों ने सुकमा एसपी और सीआरपीएफ के डीआईजी के सामने आत्मसमर्पण किया. आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में शामिल 1 पुरुष और 1 महिला नक्सली पर 8-8 लाख रुपये, 1 पुरुष और 1 महिला नक्सली पर 5-5 लाख रुपये, 2 पुरुष और 5 महिला नक्सलियों पर 2-2 लाख रुपये और 1 पुरुष नक्सली पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था. इस तरह कुल मिलाकर इन आत्मसमर्पित नक्सलियों पर कुल 40 लाख 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। गौरतलब है कि इससे पहले बुधवार को बीजापुर में 2 इनामी समेत 22 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया था. तीन अलग-अलग क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन पर निकले जवानों ने इन नक्सलियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार नक्सलियों के पास से बम बनाने और अन्य नक्सल सामग्री बरामद की गई थी।

बस्तर के भानपुरी इलाके में प्रस्तावित चिड़ियाघर का विरोध

ग्रामीणों का आरोप- पहले बांध की वजह से किया विस्थापित अब चिड़ियाघर के नाम पर पुनर्वास की जमीन छीन रहे

जगदलपुर, 18 अप्रैल (हाईवे चैनल)। वन मंत्री केदार कश्यप के गृह क्षेत्र भानपुरी में प्रस्तावित चिड़ियाघर का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं. सालेमेटा, खड़गा, छुरावण्ड, जामगांव और कमेला पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों का आरोप है कि पहले उन्हें कोसारटेडा बांध के चलते विस्थापित किया गया था, और अब चिड़ियाघर के नाम पर उनकी पुनर्वास की गई जमीन भी छीनी जा रही है।

ग्रामीणों ने राज्यपाल के नाम बस्तर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए परियोजना को तत्काल निरस्त करने की मांग की. ग्रामीणों की मांग का समर्थन करते हुए नारायणपुर के पूर्व विधायक चंदन कश्यप ने कहा कि खेती ही इन परिवारों की आजीविका का मुख्य स्रोत है, और सरकार रोजगार के नाम पर उन्हें गुमराह कर रही है. विवाद के बीच जिला प्रशासन ने मामले की जांच की बात कही है. इधर सरकार कोसारटेडा क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना के तहत रिसॉर्ट और चिड़ियाघर बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन ग्रामीण इसे अपनी आजीविका पर खतरा मान रहे हैं।

ब्रेकिंग न्यूज

इस महीने के अंत तक बीजेपी को मिल सकता है नया अध्यक्ष, मंत्रिमंडल के विस्तार की भी संभावना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल (न्यूज चैनल)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस महीने के अंत तक नए पार्टी अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर सकती है। सूत्रों ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी है। इसके साथ ही दावा किया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल भी हो सकता है। एनसीपी, शिवसेना और बिहार के सहयोगियों जैसे एनडीए के प्रमुख सहयोगियों से नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अगले भाजपा अध्यक्ष के चयन के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव के नाम चर्चा में हैं। सूत्रों ने बताया कि भाजपा अगले सप्ताह किसी समय इस पर आरएसएस से राय मांगेगी। भाजपा द्वारा इस सप्ताहांत तक अपनी राज्य इकाइयों का पुनर्गठन पूरा कर लेने की उम्मीद है - भाजपा अध्यक्ष के नाम की घोषणा से पहले पार्टी द्वारा 4-5 नए राज्य अध्यक्षों की घोषणा की जा सकती है। भाजपा अगले सप्ताह नए भाजपा अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया के लिए अधिसूचना जारी कर सकती है। इसके बाद नामांकन प्रक्रिया होती है और हमेशा की तरह, भाजपा अध्यक्ष की घोषणा इसके तुरंत बाद ही कर दी जाती है क्योंकि निर्णय बिना किसी विवाद के सर्वसम्मति से होता है।

बिलासपुर महापौर के साथ 11 लोगों को कोर्ट का नोटिस

बिलासपुर, 18 अप्रैल (हाईवे चैनल)। निगम चुनाव भले ही प्रदेश में संपन्न हो गया हो, लेकिन उसका असर अब भी बरकरार है. जाति प्रमाण पत्र व चुनाव खर्च को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने महापौर पूजा विधानी समेत 11 लोगों को नोटिस जारी किया है। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी रहे प्रमोद नायक ने जिला न्यायालय में दायर की थी. इसमें महापौर पूजा विधानी पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र उपयोग करने के साथ चुनाव प्रचार में खर्च की जाने वाली निर्धारित 25 लाख रुपए की जगह 1 करोड़ 5 लाख खर्च किए जाने का आरोप लगाया है. प्रमोद नायक ने महापौर का निर्वाचन शून्य घोषित कर उन्हें (याचिकाकर्ता) को निर्वाचित घोषित करने की मांग की गई है। याचिका की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरैशी ने महापौर पूजा विधानी, कलेक्टर, ऑब्जर्वर, एडिशनल कलेक्टर, निर्वाचन आयुक्त समेत 6 अन्य में प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। बता दें कि बिलासपुर नगर निगम में महापौर के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी पूजा विधानी ने 1 लाख 52 हजार 11 मत हासिल किए थे, वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद नायक को 85 हजार 944 वोट मिले थे. इस तरह से पूजा विधानी ने 66 हजार 67 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी. चुनाव प्रचार के दौरान भी पूजा विधानी के जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा उठाया गया था।

कांग्रेस महापौर प्रत्याशी ने दायर की है याचिका

रायपुर, महासमुंद के 5 ठिकानों पर सीबीआई की दबिश, जल्द ही कुछ अन्य होंगे गिरफ्तार

रायपुर, 18 अप्रैल (हाईवे चैनल)। सीजीपीएससी भर्ती घोटाले में सीबीआई ने रायपुर, महासमुंद में कुल 5 ठिकानों पर दबिश दी है। इसमें सरकारी डॉक्टर, कोचिंग इंस्टीट्यूट और एक निजी होटल समेत कुल 5 ठिकानों को सीबीआई ने घेरा है। महासमुंद में अध्यारण के गेस्ट हाउस, सरकारी डॉक्टर के घर रायपुर के फूल चौक स्थित निजी होटल, सिविल लाइन स्थित कोचिंग इंस्टीट्यूट पर सीबीआई की टीमों ने पड़ताल की। इस जांच में अहम दस्तावेज समेत टेक्निकल एविडेंस बरामद करने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि अब तक मिले सबूतों के आधार पर जल्द ही दो और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अब तक इस मामले पूर्व चेयरमेन टीएस सोनवानी समेत डेढ़ दर्जन लोग गिरफ्तार हैं। बुधवार को शुरू हुई सभी स्थानों पर कार्यवाही खत्म होने की भी जानकारी सामने आ रही है ।

कुत्ता खरीदने मां ने नहीं दिए पैसे, बेटे ने हथौड़ी से की हत्या, पत्नी को भी मारा

रायपुर, 18 अप्रैल (हाईवे चैनल)। थाना उरला क्षेत्र के नागेश्वर नगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सनकी पुत्र ने कुत्ता खरीदने के लिए पैसे नहीं देने पर अपनी मां की हथौड़ी से वार कर हत्या कर दी और पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना के बाद आरोपी फरार है, और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

उरला पुलिस के अनुसार, आरोपी प्रदीप देवांगन (45) पिता जगन्नाथ देवांगन, जो पेशे से ई-रिक्शा चालक है, अपनी मां गणेशी देवांगन (70) से कुत्ता खरीदने के लिए 200 रुपये मांग रहा था. मां द्वारा पैसे देने से इनकार करने पर विवाद बढ़ गया. गुस्से में आकर प्रदीप ने पास पड़े हथौड़े से अपनी मां पर वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. इसके बाद उसने अपनी पत्नी रामेश्वरी देवांगन (35) पर भी हमला कर दिया। आरोपी के 15 वर्षीय बेटे ने हिम्मत दिखाते हुए हथौड़ा छीन लिया और पास में भागकर आसपास के लोगों को घटना की सूचना दी. लोगों के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गया. घायल मां को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. पत्नी रामेश्वरी देवांगन का इलाज जारी है, और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

बिरादरी की बातें

चूहा- सुनती हो, उपराष्ट्रपति धनकड़ कह रहें हैं जज के घर से नकदी मिलने पर आखिर एफआईआर क्यों नहीं हुई। चुहिया- हां जी, गरीब के घर 100 रुपये भी मिल जाता तो पुलिस पिटते हुए ले जाती।

ईडी ने जब्त की जगन मोहन रेड्डी की जमीन 14 साल पुराने मामले में बड़ा एक्शन

नई दिल्ली, 18 अप्रैल (न्यूज चैनल)। मामला दर्ज होने के एक दशक से अधिक समय बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी और डालमिया सीमेंट्स (भारत) लिमिटेड (डीसीबीएल) की 405 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। हालांकि, डीसीबीएल ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि संपत्ति का मौजूदा मूल्य 793.3 करोड़ रुपये है। ईडी की हैदराबाद इकाई ने 31 मार्च को कुर्की का आदेश जारी किया, जो 15 अप्रैल को डीसीबीएल को प्राप्त हुआ। यह मामला जगन के सीएम बनने से पहले उनके शुरुआती कारोबारी वर्षों के दौरान कथित तौर पर किए गए क्विड प्रो क्वो निवेश की 2011 की सीबीआई जांच से उपजा है। इन संपत्तियों में जगन द्वारा कार्मेल एशिया होल्डिंग्स, सरस्वती पावर एंड इंडस्ट्रीज और हर्षा फर्म सहित कई फर्मों में रखे गए 27.5 करोड़ रुपये के शेयर शामिल हैं। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में डीसीबीएल द्वारा अधिग्रहित भूमि जिसका मूल मूल्य 377.2 करोड़ रुपये था को भी जब्त कर लिया गया। ईडी और सीबीआई का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि डीसीबीएल ने जगन रेड्डी से जुड़ी कंपनी रघुराम सीमेंट्स लिमिटेड में 95 करोड़ रुपये का निवेश किया। बदले में, कथित तौर पर राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करके कडप्पा जिले में 407 हेक्टेयर के लिए खनन पट्टा प्राप्त किया। एजेंसियों का यह भी दावा है कि यह कोई वैध निवेश नहीं था, बल्कि एक व्यापारिक लेनदेन के रूप में रिश्वत थी, जिसे जगन की अपने पिता, तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी से निकटता के कारण सुगम बनाया गया था।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद पहुंचे ममता बनर्जी ने यात्रा स्थगित करने का किया था अनुरोध

नई दिल्ली, 18 अप्रैल (न्यूज चैनल)। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद हिंसा भड़क उठी है, जिसमें पिता-पुत्र सहित तीन लोगों की मौत हो गई है और आगजनी के कारण व्यापक पैमाने पर संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने यह कहते हुए इस कानून का कड़ा विरोध किया है कि राज्य में इसे लागू नहीं किया जाएगा, जिसके कारण 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके जवाब में, केंद्र ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से मंजूरी मिलने के बाद ज़ेड और ज़ेड प्लस सहित अतिरिक्त केंद्रीय बलों को तैनात किया।

इसके बाद अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद का दो दिवसीय दौरा करने की घोषणा की है, जिसमें उन्होंने किसी भी कीमत पर शांति स्थापित करने के अपने दृढ़ संकल्प की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित राज्य सरकार के अनुरोध और कड़े विरोध के बावजूद उनका दौरा आज से शुरू हो रहा है। उन्होंने सियालदह स्टेशन से प्रस्थान करते समय कहा मैं मुर्शिदाबाद जाना चाहता हूं। वहां जो कुछ हुआ वह चौंकाने वाला है। ऐसी घटनाएं कभी नहीं होनी चाहिए थीं। मैं जमीनी हकीकत जानना चाहता हूं। शांति बहाल होनी चाहिए - और यह किसी भी कीमत पर होगी।

इन्द्रावती टायगर रिजर्व में घायल बाघ का सफल रेस्क्यू, उपचार के लिए नवा रायपुर भेजा गया

बीजापुर, 18 अप्रैल (हाईवे चैनल)। इन्द्रावती टायगर रिजर्व के अंतर्गत बीजापुर वन परिक्षेत्र के बफर जोन कक्ष क्रमांक 135 में एक नर बाघ घायल अवस्था में पाया गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम हरकत में आई और 16 अप्रैल को एक संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत बाघ को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बाघ के पिछले दोनों पैर किसी तार में फंस जाने के कारण घायल हो गए थे, जिससे वह लंगड़ाते हुए दिखाई दिया। मौके पर पहुंची पशु चिकित्सा टीम ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल बाघ को आगे की देखभाल एवं उपचार के लिए जंगल सफारी, नवा रायपुर भेज दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में नोवा नेचर वेलफेयर सोसायटी के पशु चिकित्सक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व, बीजापुर के संजय रौतिया (सहायक संचालक), मनोज बघेल (अधीक्षक), सुखदास नाग (अधीक्षक, पामेड़ अभ्यारण्य), मोहन सिंह नायक (अधीक्षक, भैरमगढ़ अभ्यारण्य) एवं अन्य वन अमले ने हिस्सा लिया। सीसीएफ बस्तर आर.सी. दुग्गा ने बताया कि बाघ के घायल होने की वजह उसके पैरों में तार फंसना था। इस कृत्य को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत गंभीर वन अपराध मानते मामला दर्ज किया गया है। वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में और प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुधीर अग्रवाल के निर्देश पर इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। फिलहाल घटना स्थल के आसपास सघन जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। वन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आरोपियों की पहचान होने पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर से वन्यजीव सुरक्षा की चुनौतियों को उजागर किया है, साथ ही वन विभाग की तत्परता और सहयोग की सराहना भी प्राप्त हो रही है।

रिटायर्ड कर्मचारी से वेतन वसूली गैरकानूनी, हाईकोर्ट से विभागीय आदेश रद्द

बिलासपुर, 18 अप्रैल (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में रिटायर्ड कर्मचारी से की जा रही वेतन की वसूली को गैरकानूनी करार देते हुए, विभागीय आदेश को रद्द कर दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने सुनाया। कोरबा निवासी 63 वर्षीय अहमद हुसैन स्वास्थ्य विभाग में हेड क्लर्क के पद से रिटायर हुए हैं। उन्हें 1 जून 2023 को एक पत्र प्राप्त हुआ। इसमें कहा गया कि 1 जनवरी 1986 से 28 फरवरी 2023 तक उन्हें गलती से अधिक वेतन दिया गया, जिसकी वसूली की जाएगी।

अहमद हुसैन के वकील डॉ. सुदीप अग्रवाल ने कोर्ट में तर्क दिया कि यह वसूली सुप्रीम कोर्ट के 2015 के रफीक मसीह फैसले के खिलाफ है। हुसैन क्लास-तीन कर्मचारी हैं और उन्हें इस नियम अनुसार वसूली का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि अहमद हुसैन क्लास-तीन कर्मचारी हैं और रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने जानबूझकर कोई धोखाधड़ी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रफीक मसीह व जोगेश्वर साहू जैसे मामलों में ऐसे वसूली आदेशों को असंवेदनशील और अनुचित ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि यह वसूली न सिर्फ नियमों के खिलाफ है बल्कि कर्मचारी की गरिमा व सम्मान के खिलाफ भी। न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए वसूली आदेश को रद्द कर दिया है।

अतिरिक्त राशि के भुगतान की जानकारी नहीं थी। यह वसूली उनके लिए वित्तीय संकट और मानसिक पीड़ा का कारण बन सकती है। राज्य की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि विभाग ने जब त्रुटिपूर्ण भुगतान की पहचान की, तो